भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 2011/एच/28/1/आरईएलएचएस/कोर्ट केस **नई दिल्ली, दिनांक 31.07.2018**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलों सहित
उत्पादन इकाइयां, अ.अ.मा.सं. एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी.

विषय:- एआईआरएफ पीएनएम मद सं. 19/2016 - सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आरईएलएचएस -97 को अनिवार्य रूप से अपनाने से छूट देने का प्रावधान।

संदर्भ:- रेलवे बोर्ड का दिनांक 31.05.2012 का समसंख्यक पत्र।

***

बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र के तहत सभी सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों के लिए, न छोड़ने की किसी भी शर्त पर, सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (आरईएलएचएस)-97 में शामिल होना अनिवार्य किया गया था। बहरहाल, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से आरईएलएचएस-97 को छोड़ने की शर्त का प्रावधान करने के लिए लगातार अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। कुछ मामलों में माननीय न्यायालय ने भी आरईएलएचएस-97 में अनिवार्य रूप से शामिल होने से कई सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों को छूट देने के आदेश जारी किए हैं।

वित्त निदेशालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि उन सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों के मामले में जो अपने पति या पत्नी के चिकित्सा कार्ड के आधार पर आरईएलएचएस अथवा केन्द्र/राज्य सरकार की किसी अन्य चिकित्सा उपचार सुविधा में स्वयं और आश्रित (आश्रितों) यदि कोई हो, के लिए आजीवन विस्तृत चिकित्सा उपचार सुविधा में शामिल हों, को आरईएलएचएस-97 में अनिवार्य रूप से शामिल होने से छूट प्रदान की जाए। बहरहाल, ऐसे सेवाब्निवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों को अपने पति या पत्नी के चिकित्सा कार्ड के आधार पर आरईएलएचएस अथवा केन्द्र/राज्य की किसी अन्य चिकित्सा सुविधा पर आजीवन विस्तृत चिकित्सा उपचार सुविधा, स्वयं और आश्रित (आश्रितों) यदि कोई हो, को लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया हो, को अपने पति या पत्नी के चिकित्सा कार्ड की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी और साथ ही एक वचनबद्धता भी देनी होगी कि सेवानिवृत्त होने वाले रहे रेल कर्मचारी भविष्य में आरईएलएचएस कार्ड को जारी करने के लिए कभी अनुरोध नहीं करेंगे।

इन अनुदेशों के जारी होने की तारीख से यह लागू होगा।

इसे वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(आर. एस. शुक्ल)
संयुक्त निदेशक/स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं. 2011/एच/28/1/आरईएलएचएस/कोर्ट केस नई दिल्ली, दिनांक 31.07.2018

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. पीसीएमडी/ उत्पादन इकाइयों एवं अ.अ.मा.सं. सहित सभी भारतीय रेलें।
2. प्रधान वित्त सलाहकार/ उत्पादन इकाइयों एवं अ.अ.मा.सं. सहित सभी भारतीय रेलें।
3. वरिष्ठ प्रोफेसर स्वास्थ्य प्रबंधन, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा।

(आर. एस. शुक्ल)
संयुक्त निदेशक/स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं. 2011/एच/28/1/आरईएलएचएस/कोर्ट केस नई दिल्ली, दिनांक 31.07.2018

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा, उत्पादन इकाइयों एवं अ.अ.मा.सं. सहित सभी भारतीय रेलें।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 2011/एच/28/1/आरईएलएचएस/कोर्ट केस नई दिल्ली, दिनांक 31.07.2018

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन नई दिल्ली।
3. विभागीय परिषद तथा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ एवं आईआरपीओए, कमरा नं. 256-ए एवं 268, रेलवे बोर्ड।
5. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सेक्रेटरी, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स' एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सेक्रेटरी, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सेक्रेटरी, आरबीएमएसए, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्पलाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्पलाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं.8, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. जनरल सेक्रेटरी, रिटायर्ड रेलवे इम्पलाइज़ वेल्फेयर एसोसिएशन (रजिस्टर्ड), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुरुग्राम।

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

(26)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं.2017/एच/28/1/आरईएलएचएस/पार्ट.1 **नई दिल्ली, दिनांक-21.06.2018**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां और आरडीएसओ

विषय:- सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (आरईएलएचएस) की अंशदान दरों के संबंध में।

संदर्भ:- रेलवे बोर्ड का दिनांक 23.02.2017 का पत्र सं.2017/एच/28/1/आरईएलएचएस।

****

बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र के तहत, आरईएलएचएस में शामिल होने की अंशदान दरों को 23.02.2017 से संशोधित किया गया था। अतः, सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों के लिए आरईएलएचएस में शामिल होने की वर्तमान अंशदान दर उनके द्वारा अंतिम माह में लिए गए मूल वेतन अथवा विभिन्न पे लेवल (7वें सीपीसी के अनुसार) के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित राशि, जो भी कम हो, निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	7वें सीपीसी के अनुसार पे मैट्रिक्स में लेवल	आरईएलएचएस में शामिल होने की अंशदान दर (रु. में)।
1	लेवल : 1 से 5	30,000/-
2	लेवल : 6	54,000/-
3	लेवल : 7 से 11	78,000/-
4	लेवल : 12 और उसे ऊपर	1,20,000/-

उपर्युक्त पत्र के 23.02.2017 के स्थान पर 01.01.2016 (7 वें सीपीसी के लागू होने की तिथि) से लागू करने के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

इस मामले में गंभीरता से विचार करने के पश्चात, अब यह विनिश्चय किया गया है कि आरईएलएचएस में शामिल होने के लिए अंशदान की संशोधित दर 23.02.2017 के स्थान पर 01.01.2016 से लागू होगी। 01.01.2016 से 22.02.2017 के बीच (दोनों तारीख शामिल हैं) सेवानिवृत्त हुए/स्वीकृत पेंशन पाने वाले रेल कर्मचारियों/परिवार पेंशनधारियों से यदि अतिरिक्त राशि की कटौती की गई है, तो उन्हें वह राशि वापस लौटाई जाएगी। यह उस विभाग/शाखा के लिए बाध्यकर होगा, जिसने सेवानिवृत्त कर्मचारियों/परिवार पेंशनधारियों को 01.01.2016 से 22.02.2017 के बीच (दोनों तारीख शामिल हैं) पावने की राशि का भुगतान किया है, कि वे अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, को एकमुश्त में कर्मचारी/परिवार पेंशनधारी के उस बैंक खाते में जमा करे, जिसमें पावने की राशि जमा की गई थी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बिल तैयार करने वाले प्राधिकारी द्वारा बकाया राशि के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी और उपयुक्त आंतरिक जांच के बाद इसे लेखा विभाग द्वारा पारित किया जाएगा। यह कार्रवाई कर्मचारी/परिवार पेंशनधारी से बिना कोई आवेदन प्राप्त किए ही की जाएगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय के परामर्श से जारी किया जा रहा है।

(आर. एस. शुक्ल)
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं. 2017/एच/28/1/आरईएलएचएस/पार्ट 1 नई दिल्ली, दिनांक-21.06.2018

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां एवं आरडीएसओ।
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां एवं आरडीएसओ।
3. वरिष्ठ प्रोफेसर स्वास्थ्य प्रबंधन, एनएआईआर, वड़ोदरा।

(आर.एस शुक्ल)
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं.2017/एच/28/1/आरईएलएचएस/पार्ट 1 **नई दिल्ली, दिनांक: 21.06.2018**

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां एवं आरडीएसओ।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं.2017/एच/28/1/आरईएलएचएस/पार्ट 1 **नई दिल्ली, दिनांक: 21.06.2018**

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं.253, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं.256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ एवं आईआरपीओए, कमरा सं.256-ए एवं 268, रेलवे बोर्ड।
5. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं.256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएमएसए, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली-110001.
12. जनरल सेक्रेटरी, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (पंजीकृत), कमरा नं. 490 ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुरुग्राम।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड